आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-05-2023 08/06/23	**<u>वाद सं0–07 / 2023</u>** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री रमेश हाँसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनु0ज0जा0मोर्चा) स्वयं उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ऑडियो काल के माध्यम से उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ का कहना है कि खाद्य आयोग के सचिव द्वारा प्रेषित पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग अपने कार्यालय को निर्देश देता है कि वे इस बात की पड़ताल करें की पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित की गई है या नहीं और प्रेषित की गई है तो प्रेषित किये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में संधारित किया जाय। इस बीच आयोग नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को पूर्व में प्रेषित पत्रांक–351 दिनांक–22.05.2023 पुनः मेल एवं वॉट्सऐप के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया जाता की वे 15.06.2023 से पहले आयोग को अपना पक्ष भेजें। इस वाद में चूँकि शिकायतकर्ता का पक्ष अब जानना जरूरी नहीं है। अतः अगली सुनवाई में शिकातयकर्ता चाहें तो उपस्थित हों चाहे तो उपस्थित न हो। आयोग इस वाद के अंतिम परिणाम से शिकायकर्ता को अवगत करा देगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx32